

मध्य प्रदेश शासन

भू-परिमाण एवं बंदोबस्त विभाग
[नगर भूमि सीमा]

एफ—क्रमांक ६-२१७/आठ/[६]/७५

भोपाल, दिनांक २७ जून ८०

प्रति;

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय— कब्रस्तानों के भूमि के संबंध में ।

शासन के आदेशानुसार यह सूचित किया जाता है कि ऐसे कब्रस्तान जिनका उपयोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कदीमी करते आ रहे हैं वकफ एक्ट १९५४ की धारा ६६ [सी] सङ्गठित धारा ३ (एल) के अनुसार वकफ हो गये हैं और इनका रख रखाव वकफ बोर्ड द्वारा किया जायेगा । ऐसे कब्रस्तानों की भूमि को किसी कमेटी या संस्था के नाम पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है । खसरे में तदानुसार पृविष्टि की जाये ।

हस्ताक्षर

(आर० के० गोयल)

अवर सचिव

भोपाल, दिनांक २७ जून ८०

एफ-६-२१७/आठ/[६]/७६

प्रतिलिपि :—

समस्त संभागीय आयुक्त, म० प्र०
आयुक्त बंदोबस्त, ग्वालियर ।

सस्ताक्षर

[आर० के० गोयल]

अवर सचिव